

श्रीमान,

आयुक्त महोदय,

राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर

विषय - भाजपा प्रदेश ईकाई हेतु कार्यालय भूमि आवंटन बाबत  
महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति 2015 के बिन्दु संख्या 10 राजैनेतिक दलों को भूमि आवंटन नियम के तहत भारतीय जनता पार्टी को जयपुर में प्रदेश ईकाई राजस्थान भाजपा कार्यालय हेतु भूमि की आवश्यकता है, इसलिए आपके राजस्थान आवासन मण्डल क्षेत्र जयपुर में भूमि चाही गई है। जिसका क्षेत्रफल 6000 वर्ग मीटर चाहा गया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि नियमानुसार भारतीय जनता पार्टी को मानसरोवर योजना जयपुर के क्षेत्र में भूमि आवंटन करवाने का श्रम करें।

(भवदीय)

श्री सुनील कोठारी

अधिकृत प्रतिनिधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी

6-ए पं.तीनदयाल उपाध्याय मार्ग मिन्टो रोड दिल्ली, 110002

मो. 9462042587, 8003004488

हाल पता - सी 51 सरदार पटेल मार्ग

सी-स्कीम जयपुर

CEM/233  
15/5/23

~~CEM~~  
CEM  
15/5

दिनांक 15/05/2023

IBR

15.5.23

15.5.23

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र

क्र.सं.	विवरण	आवेदक संस्था द्वारा भरा जाना
1-	राजनैतिक दल का नाम	भारतीय जनता पार्टी
2-	प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	श्री सुनिल कोठारी अधिकृत प्रतिनिधी,राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी
3-	डाक पता, टेलीफोन नं., मोबाईल नं. एंव मेल आई.डी.	6-ए पं.दीनदयाल उपाध्याय मार्ग मिन्टो रोड़ दिल्ली,110002 मो. 9462042587, 8003004488
4-	भूमि आवंटन का उद्देश्य	भाजपा प्रदेश कार्यालय राजस्थान हेतु
5-	चहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) (मण्डल की योजना का नाम)	जयपुर शहर में स्थित मानसरोवर योजना
6-	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	6000 मीटर
7-	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेदश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)	
8-	राजनैतिक दल को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण	नहीं
9-	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	
	1- भारत निर्वाचन आयोग की मान्यता संबंधी अधिसूचना।	
	2- बाईलॉज/रेग्युलेशन की प्रति	
	3- राजनैतिक दल का भूमि आवंटन के लिए आवेदन पत्र पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा,उसका उल्लेख हो।	
	4-प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्राजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)	
	5- रु. 5900/- (पांच हजार नौ सौ रूपये ) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो राजस्थान आवासन के नाम हो।	

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवंदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियां आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालन करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 15/05/2023

स्थान : जयपुर

नाम व पद



S.No. 12(1)

3

RECEIVED A.F.  
GENERAL SEC.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

DIRECTOR GENERAL,  
GENERAL SEC.,  
NEW DELHI-110 001.

NO. 56/R/1/89/4460 Dated, the 19th September, 1989.

3651-83

To

The General Secretary,  
Bharatiya Jnata Party,  
11, Ashok Road,  
New Delhi-110 001.

Subject:- BHARATIYA JANATA PARTY - Registration under section 29A of the Representation of the People Act, 1951 as a political party - matters regarding.

Sir,

In continuation of the Commission's letter of even number dated 8th September, 1989, on the above subject, I am directed to state that the Election Commission of India, after having considered your application, dated 7th August, 1989, for registration of BHARATIYA JANATA PARTY as a political party and the documents produced in support of the statements/averments made/contained in the said application and submissions made by the representatives of the party, - Sirva Sati K.L.Sharma, V.K.Malhotra, B.M.Gulati and Ashwani Kumar before the Commission on 13th September, 1989 in respect of the said application, has registered the said BHARATIYA JANATA PARTY as a political party under section 29A of the Representation of the People Act, 1951 on and with effect from 13th September, 1989.

2. As provided in sub-section(9) of section 29A of the Representation of the People Act, 1951, the party shall communicate to the Commission without delay any change in its name, head officer, office-bearers, address or in any other material matters.

.....2/-

*M. J. Lal*

3. In accordance with the provisions of sub-paragraph (2) of paragraph 7 of the Electoral Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1989 (Second Amendment) Order, 1989, dated 11th August, 1989 (copy enclosed), the party will be treated as a National Party and the symbol " LOTUS " will be reserved for it.

Yours faithfully,

*Chandrasekhar Reddy*  
 ( C.L.ROSE )  
 SECRETARY

No.56/R/1/89

Dated, the 18th September, 1989.

Copy to the Chief Electoral Officers of all States and Union Territories.

*K.P.G. KUTTY*  
 ( K.P.G.KUTTY )  
 RESEARCH OFFICER

-0000-

ISSUED ON  
 25 SEP 1989  
 Election Commission  
 New Delhi

*Royal*